(75)

न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 04/2022
रजि. संख्या : 2022/38

प्रार्थीपक्ष :–		अप्रार्थी :–
श्री बहादुरसिंह पुत्र श्री मेघराज, जाति भील निवासी खेडापाडा कुण्डल, तहसील छोटी सरवन जिला बॉसवाडा, उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत मकनपुरा भाग तृतीय (कुण्डल) तहसील छोटीसरवन जला बॉसवाडा	बनाम	राजस्थान राज्य द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा

उपस्थित

श्री नानालाल चरपोटा – अभिभाषक अपीलार्थी	प्रवर्तन अधिकारी, – विभागीय प्रतिनिधि

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976) विरूद्ध निर्णय दिनांक 10–11–2021, न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बॉसवाडा प्रकरण संख्या 25/2018 एव 14/2017

निर्णय

दिनांक :– 14–07–2022

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी डीलर श्री बहादुरसिंह पुत्र श्री मेघराज, जाति भील निवासी खेडापाडा कुण्डल, तहसील छोटी सरवन जिला बॉसवाडा, उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत मकनपुरा भाग तृतीय (कुण्डल) तहसील छोटीसरवन जला बॉसवाडा की उचित मुल्य दुकान की जॉच प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय बांसवाडा द्वारा दिनांक 11.01.2017 को की गई, जिसमें अनियमितता पाये जाने पर रिपोर्ट अनुसार डीलर के विरुद्ध प्रकरण सं. 14/2017 एवं प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय बांसवाडा द्वारा दिनांक 18.08.2018 को जॉच की गई, अनियमितता पाये जाने पर रिपोर्ट अनुसार डीलर के विरुद्ध प्रकरण सं. 25/2018 दर्ज किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 1485/2011 दिनांक 23.08.2018 को निलम्बित कर नोटिस जारी किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण सं. 15/2018 एवं 14/2017 दर्ज होकर अनियमितता पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र क्रमांक 1485/2011 निरस्त करते हुए प्रतिभूति की राशि जब्त करने के आदेश दिनांक 10.11.2021 को दिये गए है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा, को सम्मन जारी किया गया।

रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उक्त प्रकरण में तथ्यो के आधार पर विधि सम्मत ढंग से निर्णय पारित किया गया है। डीलर द्वारा अंत्योदय एवं बीपीएल श्रेणी के 22 उपभोक्ताओ को कई महिनो तक गेहूं नही दिया गया। एपीएल श्रेणी के 15 उपभोक्ताओ को अधिक मात्रा में वितरण दर्शाकर एवं उपभाक्ताओ को कम गेहुँ देकर 1.30 क्विंटल गेहु का गबन एवं दुरुपयोग किया गया। साथ ही निलम्बन के समय डीलर के पास 118.30 क्विंटल गेहूं शेष था, जो अस्थायी रुप से अधिकृत डीलर को हस्तान्तरित नही किये जाने से डीलर द्वारा गंभीर अनियमितताऐं किये जाने से प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर बाद सुनवाई तथ्यो के आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। लेम्पस द्वारा अबेयन्स सूची में सम्मिलित 38 उपभोक्ताओ को गेहूं का फर्जी वितरण दर्शाते हुए 612.10 किलो गेहूं का गबन एवं दुरुपयोग किया गया। उपभोक्ताओ से पुछताछ में वास्तविक रुप से गेहूं नही मिलना पाया गया। अतः अपील खारीज करने का श्रम करावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक 14.07.2022 को अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए बहस में कथन किया गया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय 10.11.2021 जानकारी होने पर प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की है। देरी का कारण कालांतर में कोविड महामारी के कारण लोक डाउन होना भी है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करे। प्रस्तुत अपील के सन्दर्भ में कथन किया कि अपीलार्थी ने शर्तों का उल्लंघन नहीं किया, 2011 से ही उपभोक्ताओं को राशन सामग्री बराबर वितरण की है। पूर्व में उसके विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगा है। उपभोक्ताओं को हानि नहीं पहुचाई है। राजनीतिक द्वेषता के कारण दबाव बनाया गया है। प्रकरण सं. 25/2018 में प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा दिनांक 18.08.2018 को निरीक्षण किया और दिनांक 23.08.2018 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं उसी दिनांक को प्राधिकार पत्र निरस्ती के आदेश दिये गये। प्रकरण में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपना पक्ष रखा उसके पहले ही आदेश दिया गया है। श्रीमान् से निवेदन है कि अपील प्रार्थी अपीलार्थी की स्वीकार की जाकर श्रीमान् न्यायालय जिला रसद अधिकारी का प्रकरण संख्या 25/2018 एवं 14/2017 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2021 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावें।

विभागीय प्रतिनिधि (प्रवर्तन अधिकारी) ने कथन किया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 10.11.2021 के पश्चात् उक्त अपील दिनांक 20.05.2022 को प्रस्तुत की है। इस प्रकार लगभग छः माह के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई जो अवधि पार हो चुकी है। अपील के सन्दर्भ में कथन किया गया कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उक्त प्रकरण में तथ्यो के आधार पर विधि सम्मत ढंग से निर्णय पारित किया गया है। डीलर को प्रश्नगत प्रकरण में कारण बताओ नोटिस निलम्बित होने की दिनांक 23.08.2018 को जारी किया गया एवं उसके प्रत्युत्तर को ध्यान में रखते हुए तथ्यों के आधार पर विधि सम्मत ढंग से निर्णय पारित किया गया है। जॉच के दौरान डीलर द्वारा कई माह तक उपभाक्ताओं को गेहूं नही देना

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

पीएल श्रेणी के 15 उपभोक्ताओ को अधिक मात्रा में वितरण दर्शाकर एवं उपभाक्ताओ को कम गेहूँ देकर 1.30 क्विंटल गेहु का गबन एवं दुरुपयोग करना, निलम्बन के समय डीलर के पास 118.30 क्विंटल गेहूं शेष था, जो अस्थायी रुप से अधिकृत डीलर को हस्तान्तरित नही किये जाने से डीलर द्वारा गंभीर अनियमितताऐं करना प्रमाणित होना पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर बाद सुनवाई तथ्यो के आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। लेम्पस द्वारा अबेयन्स सूची में सम्मिलित 38 उपभोक्ताओ को गेहूं का फर्जी वितरण दर्शाते हुए 612.10 किलो गेहूं का गबन एवं दुरुपयोग किया गया है। अतः श्री बहादुर पिता श्री मेघराज उचित मूल्य दुकानदार मकनपुरा भाग तृतीय द्वारा राशन वितरण में गम्भीर अनियमितताऐं की जाकर राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 2, 5, 8, 11 व 17ग का उल्लंघन किया है। अतः अपील खारिज फरमावे।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जांच अनियमितताऐं करना पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर प्राधिकार–पत्र निलम्बित किया गया एवं विधि संगत ढंग से सुनवाई की जाकर तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी का प्राधिकार–पत्र निरस्त किया गया है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 8, 11 व 17ग का उल्लंघन किए जाने के कारण प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–11–2021 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलार्थी निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–11–2021 को यथावत् रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:39 IST
Reason: SelfAttested